न्यायायल : उपखण्ड अधिकारी, नीमराना (कोटपूतली–बहरोड) राज0

पीठासीन अधिकारी : महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं0 14ए / 2020

निर्णय दिनांक : 10.07.2025

उनवानः

1. शीशराम उम्र 70 वर्ष पुत्र मैदाराम जाति अहीर निवासी ग्राम डाबडवास तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
2. हरिसिंह उ 67 वर्ष पुत्र मैदाराम जाति अहीर निवासी ग्राम डाबडवास तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
3. देशराज उम्र 60 वर्ष पुत्र मैदाराम जाति अहीर निवासी ग्राम डाबडवास तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
4. जलेसिंह उम्र 53 वर्ष पुत्र मैदाराम जाति अहीर निवासी ग्राम डाबडवास तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

..........प्रार्थीगण

बनाम

1. भूमीधारी तहसीलदार नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0 ।

............अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राज0 अभिधृति अधिनियम 1955

।। निर्णय ।।

पत्रावली सुनवाई हेतु पेश हुई प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र धारा 251(क) राज0 अभिधृति अधि0 के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी के खसरा नम्बर 1077 रकबा 0.22 है0, 1078 रकबा 0.24 है0 वाके ग्राम डाबडवास तह0 नीमराना मे स्थित है। हम प्रार्थीगण की आराजी के तरफ उत्तर मे ख़सरा नम्बर 77 / 1206 रकबा 0.62 है0 गैर मुमकिन सिवायचक स्थित है उक्त खसरा नम्बर 777 / 1206 के दक्षिण मे दक्षिण से उत्तर रीको का डामरीकरण रोड स्थित है जो उक्त खसरा नम्बर के पुर्व मे दक्षिणी डोल तक जाता है। उसके बाद उक्त खसरा नम्बर लग जाता है। उक्त खसरा नम्बर 777 / 1206 की दक्षिणी डोल से जहां पर रीको का रोड लगता है, वहा से उक्त खसरा नम्बर 777 / 1206 मे से दक्षिणी डोल के सहारे–सहारे 30 फुट चौडा रास्ता पुर्व से पश्चिम हम प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 1077 क पश्चिमी छोर तक कदीम से जाता रहा है। इसी रास्ता स हम प्रार्थीगण अपने खसरा नम्बर 1077,1078 वाके ग्राम डाबडवास पर काश्त के लिए ट्रेक्टर व हल इसी रास्ता से होकर लाते ले जाते रहे है व अपने उक्त खेतो मे से फसल काटकर ट्रेक्टर ट्रोली व उँटगाड़ी मे भर कर लाते ले जाते रहे है तथा पैदल भी इसी रास्ता से आते–जाते रहे है। लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड मे दर्ज नही है। इसलिए नायब तहसीलदार मांढण द्वारा पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर हम प्रार्थीगण के खिलाफ धारा 91 एलआरएक्ट के तहत नोटिस दिया गया तब हम प्रार्थीगण तहसीलदार साहब से मिले तो नायब तहसीलदार मांढण नेकहा कि रास्ता संबंधि कार्यवाही हम नही कर सकते है। अगर रिकार्ड मे रास्ता नही है तो हम आपको सरकारी भूमि पर सें बेदखल करेगें। हम प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 1077,1078 मे

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

आने जाने का सबसे छोटा रास्ता खसरा नम्बर 777/1206 मे से ही बनता है। इसलिए हम प्रार्थीगण अपनी खातेदारी के खसरा नम्बर 1077, 1078 मे आने जाने के लिए राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2(24)/विधि/2/2010 दिनांक 18.01.2012 राजस्थान राजपत्र विषेशांक भाग 4(क)दिनांक 18.01.2012 प्रकाशित द्वारा नई धारा 251(क)आर.टी.ए. के तहत कृषि हेतु 30 फुट रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी है। ऐसी सूरत मे उक्त वर्णित अधिसूचना के तहत प्रार्थीगण ने अपने खसरा नम्बर 1077, 1078 वाके ग्राम डाबडवास मे कृषि हेतु आने जाने के लिए 30 फुट चौडा रास्ता कायम किया जाने की प्रार्थना की गई।

तत्पश्चात तहसीलदार नीमराना से, खसरा नम्बर 777/1206 वाके ग्राम डाबडवास बारानी सिवाय चक मे से प्रार्थी के खसरा नम्बर 1077, 1078 वाके ग्राम डाबडवास तक 30 फुट चौडा रास्ता की नाप एवं क्षेत्रफल सहित रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार नीमराना द्वारा पटवारी हल्का से दिनांक 27.01.2021 को रिपोर्ट तैयार करवाकर इस न्यायालय मे दिनांक 01.02.2021 को पेश की गई, जिस रिपोर्ट मे प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 1077, 1078 मे कृषि हेतु जाने के लिए सबसे लघुतम मार्ग खसरा नम्बर 777/1206 वाके डाबडवास के अलावा दुसरी जगह से नही होना दर्शित करते हुऐ खसरा नम्बर 777/1206 वाके ग्राम डाबडवास मे से 30 फुट चौडा रास्ता की भूमि का कुल ऐरिया 0.16 है0 होना अपने रिपोर्ट मे दर्शित किया गया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर रास्ता की भूमि की डीएलसी रैट के मुताबिक राशि मुब0 8, 49, 658/—रू0 जिसकी दोगूनी राशि जो राज्य कोष मे जमा होने वाली राशि मुब0 16, 99, 316/—रू0 होना अपनी रिपोर्ट मे दर्शित की गई है।

पत्रावली के निस्तारण हेतु वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दौहराते हुऐ, पत्रावली मे पेश रिपोर्ट तहसीलदार नीमराना के मुताबिक, प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साबित होने के कारण स्वीकार किया जाने की प्रार्थना की गई।

हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर गहनता से मनन किया एवं मत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यो का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश मय नक्शा मौका रिपोर्ट दिनांक 27.01.2021 का अवलोकन किया जाने से जाहीर होता है कि प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 1077,1078 वाके ग्राम डाबडवास मे जाने का सबसे छोटा रास्ता खसरा नम्बर 777/1206 सिवाय चक बारानी मे से ही कायम किया जाना जाहीर होता है। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 2(24)/विधि/2/2010 दिनांक 18.01.2012 राजस्थान राजपत्र विषेशांक भाग 4(क) दिनांक 18.01.2012 धारा 251(क) आर.टी.ए. के तहत कृषि हेतु रास्ता कायम करने के प्रावधान है। ऐसी स्थिती मे पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट तहसीलदार ,दस्तावेजात एवं तथ्यो के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार होने योग्य पाया जाता है।

::— आदेश —::

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 251(क) राज. अभिधृति अधि. 1955 तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश मौका रिपोर्ट के मुताबिक साबित होने के कारण स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 777/1206 रकबा 0.62 है0 वाके ग्राम डाबडवास तह0 मांढण मे से 0.16 है0 भूमि को गैर मुमकिन रास्ता घोषित किया जाता है। तथा तहसीलदार मांढण को आदेश दिया जाता है कि उक्त रास्ता की भूमि की वर्तमान डीएलसी राशि की नियमानुसार दुगनी राशि, प्रार्थीगण द्वारा राजकोष मे

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड)

जमा करवाने के उपरान्त उक्त रास्ता की भूमि 0.16 है0 का अलग से बटा नम्बर कायम कर उसे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे तथा तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश मय नक्शा मौका रिपोर्ट दिनांक 27.01.2021 के मुताबिक खसरा नम्बर 777/1206 वाके ग्राम डाबडवास मे से प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 1077,1078 वाके ग्राम डाबडवास तक कृषि हेतु आने जाने के लिए 30 फुट चौडा रास्ता का तितम्बा काटा जाकर राजस्व नक्शा मे तरमीम किया जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश मय नक्शा रिपोर्ट दिनांक 27.01.2021 इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 10.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

महेन्द्रसिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
(आर.ए.एस.)
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)